“चर्चा, वाद-विवाद और असहमति व्यक्त करने के लिए सभा से बेहतर कोई मंच नहीं हो सकता" - लोक सभा अध्यक्ष

कोटा किनबालु, सबाह, मलेशिया, 12 जनवरी, 2016: लोक सभा अध्यक्ष, श्रीमती सुमित्रा महाजन, जो राष्ट्रमंडल के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के 23वें सम्मेलन में भाग लेने के लिए इस समय कोटा किनबालु; सबाह मलेशिया में हैं, ने आज "सांसदों हेतु प्रबोधन और विकास" विषय पर भाषण दिया।

श्रीमती सुमित्रा महाजन ने इस बात पर जोर दिया कि संसदीय लोकतंत्र में प्रत्येक मुद्दे पर बातचीत की जा सकती है तथा चर्चा, वाद-विवाद और असहमति व्यक्त करने के लिए सभा से बेहतर कोई मंच नहीं हो सकता। लेकिन व्यापक लोक हित में डिसरप्शन (व्यवधान) और डिसाइड (निर्णय) करने की परेशानियों से बचने के लिए दो और "डी" अर्थात् डिसिप्लिन (अनुशासन) और डेकोरम (शालीनता) की बहुत जरूरत है। उनका मानना था कि यदि सांसदों को प्रभावी सांसद बनाने के लिए क्षमता विकास कार्यक्रमों के माध्यम से उन्हें शक्ति सम्पन्न बनाया जाए तो इस उद्देश्य को पूरा किया जा सकता है। सांसदों को समुचित जानकारी और सहायता दिए जाने की जरूरत है ताकि वे अपने मतदाताओं के जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव ला सकें तथा लोकतंत्र को मजबूत और सुदृढ़ करने में सार्थक योगदान दे सकें।

यह बताते हुए कि संसद सदस्य न केवल लोगों के विचारों और उनके मतों का प्रतिनिधित्व करते हैं बल्कि सार्वजनिक राय और वाद-विवाद को एक अलग रूप देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, श्रीमती महाजन ने कहा कि सांसदों के लिए इन मुद्दों के बारे में विश्वव्यापी सोच और देशवासियों के नज़रिये की भी पर्याप्त जानकारी होना आवश्यक है। उन्होंने यह भी कहा कि संसद सदस्यों पर संसदों में वाद-विवाद और चर्चा को ज्ञानप्रद बनाने की जिम्मेदारी रहती है और उन्हें सार्थक योगदान देते रहना चाहिए क्योंकि संसद की कार्यवाही के सीधे प्रसारण के इस युग में उनके कामों पर चौबीसों घंटे जनता की नजर रहती है।

लोक सभा अध्यक्ष ने यह भी कहा कि आज एक सांसद को जानकारी की आवश्यकता के साथ-साथ उसके सामने प्रक्रिया संबंधी बहुआयामी चुनौतियां भी होती हैं। जब तक सदस्यों को संसदीय कामकाज के विभिन्न पहलुओं के बारे में सुस्पष्ट जानकारी तथा समसामयिक मुद्दों के बारे में विभिन्न दृष्टिकोणों का ज्ञान नहीं होता तब तक प्रभावी निर्वाचित प्रतिनिधियों के रूप में उनका विकास नहीं हो सकता। चूंकि, सदस्यों के पास विशिष्ट संसदीय मामलों के बारे में कार्यवाही करने के लिए उपलब्ध समय बहुत सीमित होता है इसलिए ये काम और भी मुश्किल हो जाता है।

भारत की संसद के अनुभव का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि संसदीय अध्ययन तथा प्रशिक्षण ब्यूरो (BPST) संसदीय संस्थाओं, पद्धतियों और प्रक्रियाओं के बारे में सुव्यवस्थित प्रशिक्षण, प्रबोधन तथा समस्या आधारित और व्यावहारिक अध्ययनों के लिए संस्थागत अवसरों की लंबे अरसे से महसूस की जा रही जरूरतों को पूरा करता है। लोक सभा अध्यक्ष ने यह भी कहा कि ब्यूरो 2005 से संसद सदस्यों को लाभ पहुंचाने हेतु सामयिक हित के विषयों पर विशेषज्ञों द्वारा व्याख्यानमालाओं का आयोजन कर रहा है। इस व्याख्यान माला का मुख्य उद्देश्य चर्चाधीन विषयों के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्राप्त करने में सदस्यों की सहायता करना है। समकालीन विषयों पर व्याख्यानों का आयोजन किया जाता है जो समस्याओं कोऔर अधिक प्रभावी तरीके से समझने में सदस्यों की मदद करते हैं।लोक सभा सचिवालय में एक विशिष्ट शोध, संदर्भ और ग्रंथालय सेवा है जो संसद सदस्यों को नियमित रूप से सहायता प्रदान करती है। जहां एक ओर शोध सेवा वर्तमान राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों के बारे में सदस्यों को लगातार जानकारी देने का प्रयास करती है, वहीं सदस्य संदर्भ सेवा सदस्यों द्वारा निर्धारित समय के भीतर उन्हें तथ्यात्मक, निष्पक्ष और अद्यतन जानकारी प्रदान करने की व्यवस्था करती है। उन्होंने जुलाई, 2015 में हमारी संसद में अध्यक्षीय शोध कदम (अशोक) नाम से शुरू की गई एक अन्य पहल का उल्लेख भी किया जिससे सांसदों को महत्वपूर्ण विषयों से जुड़े मुद्दों को गहनता से समझने में उनकी मदद के लिए उच्च गुणवत्ता वाली शोध जानकारी की उनकी मांग को पूरा किया जा रहा है।